न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

क्रमांक/राजस्व/प्र0गां0सं0अ0 2021/प.(25–2021)　　　　　　　　दिनांक :–09.12..2021

निमित,

तहसीलदार
भूपालसागर

विषय :– बाबत् पत्थरगढ़ी।

1. श्री पूष्पेन्द्रसिंह पिता नारायणसिंह राजपूत नि. राणावतों की सादडी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री शेरसिंह पिता किशनसिंह राजपूत नि. राणावतों की सादडी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ।
2. श्री भारतीसिंह पिता विजयसिंह राजपूत नि. राणावतों की सादडी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ।
3. श्री रोडसिंह पिता कालुसिंह राजपूत नि. राणावतों की सादडी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ।
4. श्री महेन्द्रसिंह पिता उंकारसिंह राजपूत नि. राणावतों की सादडी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :– 25/2021

–:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी ::–

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 500/– रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम राणावतोंकी सादडी पटवार हल्का पटोलिया तहसील भूपालसागर में स्थित आ0स0 719 रकबा 0.60 है., कुल किता 1 कुल रकबा 0.60 है. भूमि की उभय पक्षकारान को जरिये सम्मन नोटिस तलब करवाकर व दोनों पक्षों की मौजूदगी में अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो, एवं अन्य किसी न्यायालय मे कोई वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं हो, तो पत्थरगढ़ी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जि. चित्तौड़गढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2021.12.15 17:19:22 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो... हुक्म की ता... में जारी हु...
09/12/21	प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 "प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021" के अंतर्गत न्यायालय प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश होने से पत्रावली पंचायत समिति भूपालसागर की ग्राम पंचायत पहोलिया में आयोजित शिविर दिनांक 9/12/21 में पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र से निवेदन किया कि उसकी ग्राम राणावतों की सादड़ी में स्थित निजी खाते की आ.सं. 719 रकबा 0.60 हैक्टेयर भूमि पर सीमा निशानात नहीं होने से आपसी लोगों से विवाद होता रहता है, अतः पत्थरगढ़ी की जावे। शिविर स्थल पर हल्का पटवारी से मौका स्थिति की जानकारी लेने पर बताया कि उक्त भूमि के सीमा निशानात नहीं होने से पत्थरगढ़ी की जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भूपालसागर को 500/ रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि ग्राम राणावतों की सादड़ी की आ.सं. 719 रकबा 0.60 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी की जाने के लिये अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर उक्त भूमि पर कोई विवाद न हो, मौके पर कोई फसल खड़ी न हो एवं किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं हो की जाँच करने के उपरांत ही उभयपक्ष को सूचित कर दोनों पक्षों की मौजूदगी में पुख्ता पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करें, इस आशय की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जि. चित्तौड़गढ़ (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2021.12.15 17:19:22 IST
Reason: SelfAttested